



राजस्थान सरकार

कार्मिक (क-4) विभाग

क्रमांक : प.1(1)कार्मिक/क-4/ 2024


जयपुर, दिनांक : 11-02-2024

आज्ञा

निम्नांकित राजस्थान प्रशासनिक सेवा अधिकारियों के स्थानान्तरण / पदस्थापन राज्यहित में एतद्वारा तुरन्त प्रभाव से किए जाते हैं:-

क्रसं	अधिकारी का नाम	वर्तमान पद	नवीन पद	टिप्पणी
1	श्री राजेन्द्र सिंह राठौड़	विशिष्ट सहायक, उप मुख्यमंत्री, तकनीकी शिक्षा, उच्च शिक्षा, आयुर्वेद, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्धा एवं हौम्योपैथी (आयुष), परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर (डॉ. प्रेम चन्द बैरवा)	विशिष्ट सहायक, मंत्री, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग एवं गृह रक्षा विभाग, जयपुर (श्री बाबूलाल खराड़ी)	श्री भगवत सिंह राठौड़ के स्थान पर
2	श्री भगवत सिंह राठौड़	विशिष्ट सहायक, मंत्री, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग एवं गृह रक्षा विभाग, जयपुर (श्री बाबूलाल खराड़ी)	विशिष्ट सहायक, उप मुख्यमंत्री, तकनीकी शिक्षा, उच्च शिक्षा, आयुर्वेद, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्धा एवं हौम्योपैथी (आयुष), परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर (डॉ. प्रेम चन्द बैरवा)	श्री राजेन्द्र सिंह राठौड़ के स्थान पर

राज्यपाल की आज्ञा से,


(कनिष्क कटारिया) 11/2/2024


संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 1 सचिव, माननीय राज्यपाल, राजस्थान, जयपुर ।
- 2 अतिरिक्त मुख्य सचिव/ प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, राजस्थान, जयपुर ।
- 3 विशिष्ट सहायक / निजी सचिव, समस्त उप मुख्यमंत्री / मंत्री / राज्यमंत्री, राजस्थान, जयपुर ।
- 4 संयुक्त सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान, जयपुर ।
- 5 सम्बन्धित अतिरिक्त मुख्य सचिव / प्रमुख शासन सचिव / शासन सचिव / सम्भागीय आयुक्त / विशिष्ट शासन सचिव ।
- 6 सचिव, राजस्थान विधानसभा, जयपुर ।
- 7 समस्त सम्बन्धित कण्ट्रोलिंग अधिकारी ।
- 8 समस्त सम्बन्धित अधिकारी ।
- 9 वित्तिय सलाहकार, शासन सचिवालय, जयपुर ।
- 10 अतिरिक्त निदेशक, कम्प्यूटर सैल, कार्मिक विभाग ।
- 11 निजी पत्रावली / लेखा पत्रावली / रक्षित पत्रावली।
- 12 कार्मिक (क-4) अनुभाग में सेवा अभिलेख संधारित किये जाने वाले सहायक अनुभागाधिकारी / लिपिक को प्रेषित कर लेख है कि उपरोक्त स्थानान्तरण/पदस्थापन आदेश में यदि किसी पद का वार्षिक कार्य मूल्यांकन (ACR) का चैनल निर्धारित नहीं है तो उसकी कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें ।


संयुक्त शासन सचिव

- 1 प्रतिलिपि अन्य सभी संबंधित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है ।


संयुक्त शासन सचिव